Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

(A Government of India Enterprises)
5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001
Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068 Web:
www.dfccil.gov.in

No. 2019/HQ/Admin/RTI-471 New Delhi: 02.08.2019

श्री शारदा प्रसाद
पुत्र श्री पीताम्बर
ग्राम परसरा
पो० भरवारी तहसील चायल
जनपद कौशांबी-212201

Subject: Providing information w.r.t. Original Application received under the RTI Act.2005.

Reference: Your RTI Application dated 30.06.19 received in this office on 04.07.19.

Information i. r. o. your above RTI application as received is attached.

Appellate Authority name and address is as under;

Shri Satish Kothari, GGM/Administration DFCCIL,
5th Floor, Pragati Maidan Metro Station Building, New Delhi-110001.

(S.K.PANDA)
Dy. G.M/Admn.(PIO)
***E*-mail: skpanda@dfcc.co.in**
9717636811

DA: 03 sheet

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise
डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

No.: ALD (W)EN/RTI/49 –(Vol-1)

Date: 23.07.2019

उप महाप्रबंधक / एडमिन (पी.आई.ओ.)
डी.एफ.सी.सी.आई.एल.
नई दिल्ली

विषयः शारदा प्रसाद पुत्र पितम्बर ग्राम–परसरा पोस्ट भरवारी तहसील चायल, जनपद कौशाम्बी के द्वारा जन सूचना अधिकारी अधिनियम 2006 की धारा 6–1 के अन्तर्गत माँगी गयी सूचना प्रदान करने के सम्बन्ध में।

संदर्भः (1) आपका पत्रांक 2019/HQ/ADMIN/RTI-471 दिनांक 05.07.2019।
(2) आपका पत्रांक 2019/HQ/ADMIN/RTI-471 दिनांक 15.07.2019।

1. क्रम संख्या (1) के प्रति उत्तर में अवगत कराना है कि प्रार्थी व अन्य ने अलग–अलग प्रार्थना पत्र मण्डलायुक्त इलाहाबाद, जिलाधिकारी कौशाम्बी, रेल मंत्रालय भारत सरकार, महाप्रबंधक कार्यालय डी.एफ.सी.सी.आई.एल. को दिया जिसमें प्रार्थी द्वारा डी.एफ.सी.सी.आई.एल. संरेखण व निर्माण के उपरान्त भूमि की सिंचाई करने हेतु अलग–अलग पुलिया निर्माण की माँग की गयी है जिस पर सक्षम प्राधिकारी, जिलाधिकारी कौशाम्बी व मण्डल आयुक्त ने इस कार्यालय को निर्देशित करते हुए उक्त प्रकरण का संज्ञान लेते हुए समाधान करने के हेतु निर्देशित किया था। जिसकी सूचना सक्षम प्राधिकारी को दिनांक 19.02.2019 पत्रांक ALD(W)/EN/LA-Kaushambhi/35 के माध्यम से दी जा चुकी है। (प्रतिलिपि संलग्न) (संलग्न प्रार्थना पत्र एक ही गाटे से सम्बन्धित हैं)

2. जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को आदेश / निर्देश की प्रति संलग्न है।

संलग्नकः(1) प्रार्थना पत्र शारदा प्रसाद चौरसिया, सियाराम चौरसिया व अन्य।
(2) महाप्रबंधक सेमू. इसी. नई दिल्ली पत्र दिनांक 18.02.2019।

23.07.19
(अजीत कुमार सिंह)
उप परि० प्रबंधक / इंजी०
डी.एफ.सी.सी.आई.एल.
इलाहाबाद (प०)

9/4/2019
31/7/19

Field Office: Old GM Office Building, N.C. Railway (Ist Floor), Valmiki Chauraha, Nawab Yusuf Road, Allahabad-211001
Tele. : +91-532-2560331, Telefax: 0532 - 2560321

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise
डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

ALD(W)/EN/LA-Kaushambhi/35 Date: 19.02.2019

सक्षम प्राधिकारी
भूमि अध्याप्ति अधिकारी
कौशाम्बी

विषयः आई.जी.आर.एस. प्रार्थनापत्र संख्या 317/ज0द0स0वि0 एवं 102/2019 के निस्तारण के संबंध में।
पत्रांकः 4/भूलेख–सात–रेलवे–कौशाम्बी/दिनांक– 15 जनवरी, 2019

संदर्भित पत्रांक द्वारा श्री महेश प्रसाद चौरसिया पुत्र स्व0 भवगत प्रसाद उर्फ साधू निवास ग्राम चक सईगंज मजरा मोहम्मदपुर असवा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र एवं तहसील सिराथू ग्राम सिराथू के श्री खालिक हसन पुत्र अबुल हसन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में विभिन्न स्थानों पर सिंचाई हेतु 1.2x1.2 मीटर की पुलिया तथा चकरोड पर 3x3 मीटर पुलिया हेतु निर्माण करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रकरण में अवगत कराना है कि श्री महेश प्रसाद चौरसिया ग्राम चक सईगंज का ट्यूबवेल ब्रिज संख्या 521 चैनेज 317+772 पर स्थित था। जिसका अधिग्रहण परियोजना के निर्माण हेतु किया गया है एवं उन्हें आश्वस्त किया गया था कि सिंचाई हेतु राजस्व अभिलेख में जो भी नाली अंकित है उसके नैसर्गिक प्रवाह में कोई अवरूद्ध उत्पन्न नहीं होगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए चैनेज 317+772 व 318+380 लगभग 500 मीटर पर दो पुलिया का निर्माण किया जा रहा है जिसके अन्दर से पाईप के माध्यम से रेलवे लाईन के दोनों तरफ की सिंचाई का कार्य सुविधापूर्वक किया जा सकता है। परन्तु प्रार्थी श्री महेश प्रसाद चौरसिया द्वारा नवनिर्मित ट्यूबवेल चैनेज 318+070 पर स्थित है और वहाँ पर अतिरिक्त ब्रिज की माँग की जा रही है जो सम्भव नहीं है। क्योंकि उनके ट्यूबवेल के दोनों तरफ ब्रिज का निर्माण किया जा चुका है।

खालिक हसन पुत्र अबुल हसन द्वारा सिंचाई एवं चकरोड हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का इस कार्यालय एवं कार्यकारी संस्था जिलसिल के प्रतिनिधि के द्वारा वहाँ पर प्रभावित व्यक्तियों की उपस्थिति में सर्वेक्षण किया गया है जिसमें यह निष्कर्ष निकला कि चकरोड पर वाहन आवागमन हेतु 3x3 मीटर पुलिया तथा सिंचाई व अन्य माँगों का निस्तारण पूर्व में ही किया जा चुका है क्योंकि वहाँ पर भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जल संतुलन हेतु दो पुलिया 1.2x1.2 मीटर का निर्माण प्रस्तावित है। वर्तमान में प्रभावित व्यक्तियों की आपत्ति निस्तारित की जा चुकी है।

प्रतिलिपिः 1. श्री महेश प्रसाद चौरसिया पुत्र स्व0 भवगत प्रसाद उर्फ साधू ग्राम चक सईगंज।
2. खालिक हसन पुत्र अबुल हसन ग्राम सिराथू।

19.02.19
(बी. के. वर्मा)
उप मुख्य परि0 प्र0/इंजी0
इलाहाबाद (प0)

Field Office: Old GM Office Building, N.C. Railway (Ist Floor), Valmiki Chauraha, Nawab Yusuf Road, Allahabad-211001
Tele.: +91-532-2560331, Telefax: 0532 - 2560321

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise
डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

No.: ALD(W)/EN/LA-Kaushambhi/35 **Date: 18.02.2019**

महाप्रबंधक / से0मू0 / ई0सी0
नई दिल्ली

विषयः विषयः प्रतिकर एवं पाइप ब्रिज निर्माण के सम्बन्ध में।

संदर्भः HQ/PG/ALD(W)/1/2019 dt. 31.01.2019

विषयगत प्रकरण में अवगत कराना है कि गाटा संख्या 105 के प्रतिकर के वितरण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को नोटिस एवं व्यक्तिगत रूप से समन्वय स्थापित कर प्रतिकर लेने हेतु सूचना / अनुरोध किया गया था परन्तु प्रभावित व्यक्तियों ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अभिनिर्णय से असंतुष्ट होकर प्रतिकर लेने से मना कर दिया एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर के विरूद्ध माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अधिकतम मुआवजे हेतु रिट याचिका 35104–2017 दायर की है। जिसका उल्लेख प्रार्थी के आवेदन पत्र में भी है। वर्तमान में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित धनराशि संयुक्त खाते में (APM/Fin & SLAO) उपलब्ध है यदि प्रार्थी यदि चाहे तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित धनराशि प्राप्त कर सकते है।

प्रार्थीगण द्वारा चैनेल 318+100 पर समरसेबुल बोर का निर्माण किया गया है एवं सिंचाई हेतु अलग से 1.2 X 1.2 की पुलिया निर्माण हेतु आग्रह कर रहा है। उक्त प्रकरण में अवगत कराना है कि प्रार्थी का ट्यूबवेल चैनेल 317+772 पर स्थित था जिसका अधिग्रहण परियोजना के निर्माण हेतु किया गया है जिसमें प्रार्थीगण को स्पष्ट किया गया था कि वर्तमान में स्थित किसी भी नाली को जो राजस्व मानचित्र में दर्ज है अवरूद्ध नहीं किया जायेगा जबकि प्रार्थीगण ने ट्यूबवेल के अधिग्रहण के पश्चात् अन्यत्र जगह बोर का निर्माण कराया है जबकि पूर्व में उस स्थान पर कोई नाली उपलब्ध नहीं थी। वर्तमान समय में प्रार्थीगण के ट्यूबवेल के दोनों तरफ ब्रिज न0 521, चैनेज 317+772 एवं ब्रिज न0 522, चैनेज–318+380 पर उपलब्ध है, प्रार्थीगण द्वारा ब्रिज के नीचे से पाईप को पास करके सिंचाई का कार्य किया जा सकता है अतः उक्त दोनों ब्रिज के बीच में एक अतिरिकत ब्रिज दिया जाना सम्भव नहीं है।

प्रतिलिपिः 1. सक्षम प्राधिकारी / भूमि अध्याप्ति अधिकारी कौशाम्बी।
2. श्री महेश प्रसाद चौरसिया पुत्र स्व0 भवगत प्रसाद उर्फ साधू ग्राम चक सईगंज।

(आर. के. जैन) 20/2/19
उप मुख्य परि0 प्र0 / इंजी0
इलाहाबाद (प0)

Field Office: Old GM Office Building, N.C. Railway (Ist Floor), Valmiki Chauraha, Nawab Yusuf Road, Allahabad-211001
Tele. : +91-532-2560331, Telefax: 0532 - 2560321